ISSN: 2582-7162
लेख

महिला दुर्व्यापार : राजस्थान के धौलपुर जिले के संदर्भ में

डॉ. अनिल फागना

प्राचार्य घुश्मेश्वर महाविद्यालय, शिवाड़
(पूर्व शोधार्थी भूगोल विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय)

Corresponding Author:
डॉ. अनिल फागना
प्राचार्य घुश्मेश्वर महाविद्यालय, शिवाड़
(पूर्व शोधार्थी भूगोल विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय)
Email: lokesh80058@gmail.com

Received February16, 2023, Accepted February 26, 2023 Published March 04, 2023

प्रस्तावना :–मनुस्मृति में नारी के सम्बन्ध में एक उक्ति मिलती है–यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता अर्थात जहॉ नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। कथन का मन्तव्य समाज को नारी का आदर करने के लिए प्रेरणा प्रदान करना, जहॉ नारी को आदर दिया जाता है वहीं सुख समृद्धि एवं शान्ति रहती हैं।
मुख्य शब्दः– महिला;, दुर्व्यापार;, संदर्भ

विधाता ने नारी को पुरूष की तुलना में कोमल एवं संवेदनशील बनाया है। तथापि महिला आरक्षण एवं शिक्षा ने आत्मविश्वास का संचार किया है। मतदान के अधिकार के साथ ही पिता की सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार भी मिला है। प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निर्वाह कर रही हैं। बड़े–बड़े पदों पर पुलिस, प्रशासन, न्याय, शिक्षा, ब्यूरोक्रसी जैसे क्षेत्रों में अपनी योग्यता के झण्डे गाड़े है।

परन्तु आज भी संसार भर के साथ ही भारत देश के कई कोनों में महिला कई कुरूतियों यथा अन्तर्जातीय प्रेम विवाह, ऑनर किलिंग, खरीद फरोख्त, घरेलू हिंसा, असमानता, कन्या भ्रूण हत्या, सामाजिक बंधन इत्यादि से गुजर रही हैं। पर्दा प्रथा, पुरूष की वासना पूर्ति का साधन, सती प्रथा, घरेलू चार दीवारी मे बंद होने की परिपाटी मध्यकाल से प्रारम्भ हुई। रीतिकालीन कवियों ने भी नारी को दैहिक सौंदर्य के फलीभूत एक भोग्या वस्तु के रूप में माना है। मध्यकाल से ही नारी की स्थिति दयनीय चलती आ रही है। कुछ क्षेत्र और वर्गो में आज भी नारी दयनीय और सोचनीय स्थिति में है।

प्रस्तुत लेख बालिका शोषण, बाल–वेश्यावृत्ति, महिलाओं के अवैध व्यापार जैसे कुख्यात मुद्दो को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान राज्य मे सुदृढ पूर्वी जिले धौलपुर में किए गए अध्ययन के अन्तर्गत लिखित है।

धौलपुर जिला 15 अप्रेल 1982 को भरतपुर जिले से अलग होकर राजस्थान के 27वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया। जिले का क्षेत्रफल 3033 वर्ग किमी. है जो $26^{o}22'$ से $25^{o}65'$ उत्तरी अक्षांशो एवं $77^{o}14'$ से $78^{o}17'$ पूर्वी देशान्तर रेखाओं के मध्य स्थित है। शहर धौलपुर चम्बल नदी के पास उच्च क्षेत्र में स्थित है।

चम्बल नदी के किनारे बसे होने के कारण अधिकांश भूमि पथरीली तथा कम उपजाऊ है। स्थानीय भाषा में इसे डांग कहा जाता है। जो चम्बल खड्ड़ अथवा बीहड़ कहलाते हैं। चम्बल के किनारे मीलों की दूरी में विस्तृत बीहड़ों के दृश्य विश्व में अन्यत्र दुर्लभ है। दुर्भाग्यवश पिछले कई दशकों से ये नृशंस डाकुओं की शरणस्थली बने हुए हैं। जिले का भूगोल इन डकैतो को अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाता है।

इसलिए ही प्रस्तुत लेख का लेखक जिले की उपर्युक्त दशाओ के कारण अध्ययन का इच्छुक रहा कि क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति, उत्थान आदि किस दिशा में प्रगति कर रहे हैं। परन्तु पाया गया कि केन्द्र एवं राज्य सरकारो की विभिन्न योजनाओ के संचालन के उपरान्त भी जिले में गरीबी, निरक्षरता, महिला पिछड़ापन की समस्याऐं जस की तस बनी हुई हैं। जिले में अपराध बहुतायत से

मिलते हैं। 40% व्यक्तियों का मानना है कि जिले में अपराधों के बढ़ने का कारण यहां की भौगोलिक स्थिति भी हैं। यहां पर होने वाले अपराधों में सबसे अधिक चोरी, नकबजनी, बलवा व लूट आदि होते हैं। बालिकाओं की खरीद फरोख्त की भी घटनाऐं होती रहती हैं। जिसमे हालिया 28 नवम्बर 2022 की घटना है जिले के सैंपऊ थाना क्षेत्र में मां की मर्जी के बिना नाबालिग बेटी का सौदा कर दिया गया। महिला ने पति और जेठ के खिलाफ इस्तगासा दायर कर मुकदमा दर्ज करवाया कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी को पति और जेठ ने महज 4 लाख में बेच दिया।

जिले में अपराधो पर अंकुश लगाने के लिए नऐ–नऐ थाने यथा निहालगंज, मनिया गांव, बसेड़ी गांव, कोतवाली धौलपुर इत्यादि भी बनाए गए है परंतु अशिक्षा, बेरोजगारी, आर्थिक व सामाजिक कारणों से अपराधों पर पूर्ण नकेल नहीं कस पायी हैं। क्षेत्र में हथियारों के लाईसेन्स बिना ही रखने का चलन हैं। लाठियां, फरसे व कुल्हाड़ी जैसे हथियार भी रखे जाते हैं।

स्त्री साक्षरता अत्यल्प हैं। अभिभावक बालिकाओं को महाविद्यालयी एवं उच्च शिक्षा दिलवाना पसंद नहीं करते। परिवार नियोजन का कोई महत्व नहीं समझा जाता। कई लोग लड़कियों का विवाह अपने लड़के के विवाह के बदले में करते हैं। दहेज प्रथा भी विकराल रूप धरे हुए हैं।

निष्कर्ष रूप में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु महिलाओं के सभी मानवाधिकारों को सुनिश्चित किया जाऐ, उनके उल्लंघन पर कड़ी कार्यवाही की जाऐ। अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं की दशा सुधारने हेतु प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता स्थानीय प्रशासन द्वारा निश्चित रूप से प्रदान की जाऐ। महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा की निन्दा हो तथा उसकी रोकथाम हेतु जरूरी कदम उठाये जाऐ। पुलिस प्रशासन सख्ती से महिला दुर्व्यवहार रोकने हेतु कार्य करे। महिला स्वास्थ्य एवं साक्षरता के कार्यक्रम क्षेत्र में प्रभावी रूप से लागू किऐ जाऐं। बालिकाओं के खिलाफ समाज में व्याप्त भेदभाव पर प्रभावी अंकुश लगाने की नीतियाँ बनायी जाऐं। मीडिया भी अपनी सकारात्मक छवि प्रस्तुत कर अनुकरण उदाहरण पेश करे।

तभी खुशहाल महिला और खुशहाल समाज की संकल्पना साकार होगी।

सन्दर्भ

1. यादव, यादराम सिंह : धौलपुर दर्शन, ज्योति प्रकाशन जयपुर 1–3
2. सहगल, के.के. : गजेटियर, भरतपुर जिला निदेशालय राजस्थान सरकार, 1971
3. गुप्ता एम.एल. एवं शर्मा, डी.डी. : भारतीय समाज (2008) साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा पेज 235–253
4. सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय : ''हौसले की उड़ान'' मैसर्स पापुलर प्रिन्टर्स जयपुर–2003 पृष्ठ 73–77
5. मौर्य, डॉ.एस.डी. : सामाजिक भूगोल, शारदा पुस्तक भवन 2020
6. कोठारी गुलाब : पत्रिका प्रकाशन, जयपुर 2012